

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

अज अदालत.....

बायतु

मुकाम.....

श्री लालाराम

बनाम

रहुमान खन्ना

किस्म मुकदमा.....



राजस्थान प्रा. 1959

नं.....

76/18

सन्.....

2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>21/2/18</p> <p>06/03/18</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>लालाराम खन्ना</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 R.A.A.</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। किप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>6/3/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु </p> <p>प्रार्थी वहील उपलिखत। विपार्थीगण संख्या 3 के 18 के नोटिस तामिल बुझा जात जिये शामिल पत्रावली विधा गण। विपार्थी संख्या 1 व 2 की मौर ले वहील श्री लालाराम द्वारा वडालातनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन विधा गण की यदी प्रार्थी अपने ख्यातेदारी खेतों की नैयमबंदी उरवाले है तो हम विपार्थी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। विपार्थीगण संख्या 3 के 18 वावजुड तामिल अनुपलिखत। प्रार्थी के अधिवक्ता की उपपक्षीय वदत दुनी गद प्रार्थी के अधिवक्ता ने वतथा की प्रार्थी को अपने ख्यातेदारी खेतों के चारों ओर नैयमबंदी उर नैयम स्थापित उरवाना माशरफुड है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

इसलिए प्रार्थी का नैष्कामवनी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैष्कामवनी आदेश दिया जावे।

अतः प्रार्थी का नैष्कामवनी आवेदन स्वीकार किया जाकर लक्ष्मीवारा ब्यापार के सम्बन्ध में निम्नलिखित किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिकार में किसी भी सूक्ष्म-लेख निरीक्षण के प्रार्थी के आवेदारी द्योनें की पत्नी नैष्कामवनी आदेश के मुक्त जमाबन्दा के पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की पत्रावली के मूल नुमादा है, दर्ज नम्बर से उस है, दाखिल नम्बर है।



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वा.क/2018/ 327
स्व आवेदन संख्या - 76/18

दिनांक:- 6/3/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री कोहलाराम पुत्र खंगाराराम जाति जाट निवासी जियोणियों की बस्ती, काश्मीर तह. शिव जिला बाड़मेर		1. श्री हड्डुमानराम पुत्र खंगाराराम वगैरा 18 निवासी खेतरलाई, झाक तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खेतरलाई पटवार हल्का झाक के खेत खसरा नम्बर 658/526 रकबा 24.15 बीघा की भूमि में वारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/वा.क/2018/ 328 to 332
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- बायतु 6/3/18

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कोहलाराम पुत्र खंगाराराम।
4. विप्रार्थीगण श्री हड्डुमानराम पुत्र खंगाराराम वगैरा 18।
थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।



(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु